


उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, उज्जैन

रतलाम शहर में वर्ष 2019–21
हेतु साँची दुग्ध वितरक
सह–परिवहनकर्ता के लिए
ई–निविदा प्रपत्र



उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, उज्जैन
मक्सी रोड़ डेयरी प्लाट, उज्जैन–456001
दूरभाष – 2527061,2527068,2527066

मोनो

उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित

मक्सी रोड, पोस्ट बॉक्स नं.106, उज्जैन-456001 (म.प्र.)

दूरभाष – 0734-2527068, फेक्स नं. 2527063

**साँची दुग्ध वितरक सह-परिवहनकर्ताओं की नियुक्ति हेतु
अत्यकालीन तृतीय ई-निविदा सूचना प्रारूप**

उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, उज्जैन द्वारा रतलाम शहर में साँची दूध के विक्रय हेतु एक दुग्ध वितरक सह-परिवहनकर्ता प्रतिलीटर दर पर नियुक्त करने के लिए दो वर्ष की अवधि (जिसे कार्य संतोषप्रद होने पर आपसी सहमति से एक-एक वर्ष करके तीन वर्ष तक बढ़ाया जा सकेगा।) हेतु आर्थिक रूप से सक्षम, अनुभवी एवं योग्य व्यक्तियों/संस्थाओं से दिनांक 07/10/2019 दोपहर 11:00 बजे से ऑनलाईन वेबसाईट <http://www.mptender.gov.in> के माध्यम से ई-निविदा आमंत्रित की जाती हैं, जिनके द्वारा रतलाम के दोनों वितरण मार्गों पर कार्य किया जाएगा। इच्छुक आवेदक वेबसाईट <http://www.mptenders.gov.in> के माध्यम से निविदा प्रपत्र दिनांक 07/10/2019 प्रातः 11:00 बजे से 14/10/2019 प्रातः 11:00 बजे तक ऑनलाईन क्रय कर पूर्ण रूप से भरे निविदा प्रपत्र उसी दिन (दिनांक 14/10/2019 को) अपराह्न 01:00 बजे तक ऑनलाईन जमा करें। निविदा प्रपत्र में वर्णित तकनीकी अर्हता संबंधी वांछित दस्तावेज ऑनलाईन अपलोड करने के साथ भौतिक रूप से दुग्ध संघ कार्यालय उज्जैन में भी जमा करना होंगे, साथ ही अमानत राशि रु. 25000/- का ऑनलाईन रूप से जमा राशि की स्लीप दिनांक 15/10/2019 को अपराह्न 2:00 बजे तक जमा कराना अनिवार्य होगा। प्राप्त सभी निविदाएं तकनीकी अर्हताओं के परिक्षण हेतु दिनांक 15/10/2019 अपराह्न 3:00 बजे उपस्थित निविदाकार/प्रतिनिधि के समक्ष समिति द्वारा खोले जावेंगे। तकनीकी रूप से सफल निविदाकारों की दरें दिनांक 16/10/2019 को अपराह्न 3:00 बजे खोली जाएंगी। अन्य विस्तृत जानकारी के लिए वेब साईट www.mpcdf.gov.in पर लॉग ऑन करें।

“Export enquiries for Sanchi Ghee from exporters are invited. Please contact 9425077856/9425912916 or foreigntrademtc@gmail.com /sanchimsids@gmail.com for all terms and conditions.”

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित
दुग्ध वितरक सह—परिवहनकर्ता का कार्य आवंटन हेतु
निविदा प्रपत्र

1	ई—निविदा प्रपत्र ऑनलाईन विक्रय प्रारंभ करने की तिथि एवं समय	दिनांक 07 / 10 / 2019 प्रातः 11:00 बजे से
2	ई—निविदा प्रपत्र ऑनलाईन क्रय करने की अंतिम तिथि एवं समय	14 / 10 / 2019 प्रातः 11:00 बजे तक
3	ई—निविदा ऑनलाईन जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय	14 / 10 / 2019 अपराह्ण 01:00 बजे तक
4	ई—निविदा भौतिक रूप से जमा करने की तिथि एवं समय	15 / 10 / 2019 अपराह्ण 2:00 बजे तक
5	तकनीकी बीड भौतिक एवं ऑनलाईन रूप से खोलने की तिथि एवं समय	15 / 10 / 2019 अपराह्ण 3:00 बजे
6	वित्तीय बीड (प्राइज बीड) खोलने की तिथि एवं समय	16 / 10 / 2019 अपराह्ण 3:00 बजे
5	निविदा के साथ जमा की जाने वाली धरोहर राशि	प्रत्येक मार्ग के लिए पृथक—पृथक ईएमडी राशि रूपये 25000/- ऑनलाईन भुगतान करें।
6	निविदा प्रपत्र का मुल्य	रूपये 500/- (पांच सौ मात्र)
7	निविदा खोलने का स्थान एवं पता	उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, उज्जैन
9	दुग्ध परिवहनकर्ता कार्य हेतु तकनीकी अर्हताएं“ का प्रारूप एवं सामान्य शर्ते	प्रपत्र 01 एवं 02 लिफाफा ‘A’
10	“भाव पत्र/दरें” प्रस्तुत करने का प्रारूप	प्रपत्र— 03 (केवल ऑनलाईन भरें।)
11	अनुबंध का प्रारूप	प्रपत्र — 04

निविदा प्रस्तुत करते समय ध्यान रखा जावे कि :-

- प्रपत्र क्रमांक 01 ‘निविदा की शर्ते’ तथा प्रपत्र क्रमांक 02 “तकनीकी अर्हताएं“ एवं प्रपत्र क्रमांक 04 “अनुबंध की शर्ते” (एक ही बंद लिफाफे में प्रस्तुत की जावे एवं लिफाफे पर लिफाफा ”A”— प्रपत्र 1 “ तकनीकी अर्हताएं“ एवं प्रपत्र 2 निविदा की शर्ते लिखा जावे। (प्रत्येक दस्तावेज पृष्ठ पर निविदाकार के हस्ताक्षर होना जरूरी है।)
- उक्त “A” बंद लिफाफे एक साथ एक अन्य लिफाफे में बंद कर कार्यालय में दिनांक 15 / 10 / 2019 को दोपहर 2:00 बजे तक जमा की जावे। पहले “तकनीकी अर्हताएं“ तथा निविदा शर्तों का लिफाफा खोला जावेगा। तकनीकी अर्हताएं में सफल निविदाकर्ताओं की ही ऑनलाईन प्राप्त दरें खोली जाएगी।
- निविदा प्रपत्र क्रमांक 01 एवं 4 में उल्लेखित शर्तों के अतिरिक्त निविदाकार की ओर से उल्लेखित कोई भी शर्त मान्य नहीं की जावगी।

- प्रपत्र 03 जिसमें दरें संलग्न होगी सिर्फ और सिर्फ ऑनलाईन माध्यम से ही भेजा जाए एवं भौतिक रूप से प्राप्त दरों को निरस्त समझा जावेगा ।

नोट :-—सभी निविदाकारों को निर्देशित किया जाता है कि वे धरोहर राशि “EMD” ऑनलाईन जमा करें। लिफाफा “A” निविदा खोलने की दिनांक एवं समय से पूर्व भौतिक रूप से उज्जैन दुध संघ में जमा करें। दस्तावेज जिन्हें ऑनलाईन नहीं भेजा जा सकता है, को साथ ही लिफाफा “A” में दिनांक 15/10/2019 को दोपहर 2:00 बजे तक प्रेषित करें। प्रपत्र क्रमांक 03 जो “Price Bid” होगी, को सिर्फ और सिर्फ ऑनलाईन माध्यम से ही भेजा जावे जो दिनांक 16/10/2019 को दोपहर 3:00 तक खोला जावेगा तथा भौतिक रूप से प्राप्त “Price Bid” को निरस्त समझा जावेगा।

टिप्पणी :-

1. ऑनलाईन निविदा अपलोड एवं प्राप्ति की तिथि व समय में अवकाश घोषित होने पर भी कोई परिवर्तन नहीं होगा किन्तु यदि निविदा तकनीकी बिड व फाइनेंशियल बिड खोलने के लिए निर्धारित दिनांक को अवकाश घोषित किया जाता है, तो संबंधित निविदा के अगले कार्य दिवस पर पूर्व निर्धारित समय पर खोली जावेगी।
2. **निविदा कार्य अवधि :-**
निविदाएँ निर्धारित कार्य अवधि वर्ष 2019–2021 (2 वर्ष) के लिए आमंत्रित हैं। कार्य संतोषप्रद होने पर आपसी सहमति से एक–एक वर्ष करके तीन वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है।

साँची दूध वितरक सह–परिवहनकर्ता हेतु निविदा की आवश्यक शर्तें


1. “अ”— निविदाकार को आवेदन पत्र के साथ स्व प्रमाणित (हस्ताक्षर कर) पासपोर्ट साईज फोटो लगाना अनिवार्य है।
 2. “ब”— निविदाकार के पास विगत दो वर्ष का दूध एवं दुग्ध पदार्थ अथवा एफएमसीजी विक्रय में अनुभव होना आवश्यक है तथा विगत दो वर्षों में न्यूनतम 12 करोड़ का टर्न ओवर होना अनिवार्य है। टर्न ओवर के सत्यापन हेतु अधिकृत चार्टेट अकाउंटेन्ट से अन्तिम लेखे बेलेन्स शीट संलग्न करना अनिवार्य है।
 3. एक निविदाकार समस्त मार्गों के लिए निविदा भर सकेगा।
 4. निविदाकार के पास स्वयं का अथवा अनुबंधित इन्सुलेटेड वाहन होना आवश्यक है यदि निविदाकार नया वाहन क्रय करना चाहता है तो तदाशय शपथ पत्र निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करें। वाहन को इंसुलेटेड कराने हेतु एक माह का समय दिया जावेगा। इंसुलेटेड वाहन (थर्मोकोल हैवी डेन्सिटी 4 इंच या पफ इंशुलेटेड 02 इंच) वर्ष – 2016 या उसके बाद पंजीकृत वाहन होना चहिए, वाहन की फिटनेस आर.टी.ओ. से कराकर कार्यालय में जमा करनी होगी। अन्यथा कार्यादेश निरस्त कर अमानत राशि राजसात की जा सकती हैं।
 5. निविदाकार आवेदक निविदा के साथ रूपये 25,000/- (रूपये पच्चीस हजार) डी.डी. अर्नेस्ट मनी के रूप में जमा करना अनिवार्य होगा। डी.डी. “उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, उज्जैन” “पेयबल एट उज्जैन” के नाम बनाया जाए। अर्नेस्ट मनी जमा न करने की स्थिति में आवेदक की निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा तथा ऐसी निविदा स्वतः निरस्त मानी जावेगी।
 6. निविदा स्वीकृत होने के बाद किसी भी कारणवश कार्य नहीं करने पर निविदाकार की अर्नेस्टमनी राजसात कर ली जाएगी।
 7. निविदा स्वीकृत होने की स्थिति में वितरक सह–परिवहनकर्ता को प्रतिभूति राशि मद में मार्ग विवरण में वर्णित अनुसार कुल प्रतिदिन विक्रय किये गये दूध के मुल्य (रूपये 45 /लीटर की मान से) की पांच गुना राशि प्रतिभूति राशि के रूप में जमा करना अनिवार्य होगा, जिसमें 40 प्रतिशत नगद राशि एवं शेष 60 प्रतिशत राशि उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, उज्जैन के नाम बैंक ग्यारंटी के रूप में संघ कार्यालय में जमा करनी होगी। संघ में जमा की गई नगद राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। दुग्ध विक्रय में वृद्धि होने पर पांच दिन की दूध विक्रय की मात्रा की राशि के समतुल्य अतिरिक्त प्रतिभूति राशि संघ में जमा करना होगी। प्रतिभूति राशि अनुबंध के साथ जमा करने के उपरांत ही कार्य आदेश जारी किये जाएंगे। सफल निविदाकार को उपरोक्त प्रतिभूति के अतिरिक्त प्रतिदिन आवश्यक क्रेटों की संख्या की तीन गुना क्रेटों की वर्तमान दर आधार पर क्रेट प्रतिभूति राशि जमा करनी होगी।
 8. निविदा प्रपत्र के साथ आवेदक निविदाकार द्वारा दी गई जानकारी यदि असत्य प्रमाणित होती है तो अर्नेस्टमनी राजसात करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी को होगा, साथ ही आवेदक का ऐसा आवेदन निरस्त समझा जावेगा।
 9. आवश्यकता प्रतिपादित होने पर न्यूनतम दर प्रस्तुत करने वाले निविदाकार से नेगोशिएशन कर दरों का निर्धारण किया जा सकेगा।
 10. निविदा स्वीकृत की स्थिति में सफल निविदाकार को संघ द्वारा निर्धारित औपचारिकताएं पूर्ण कर निर्धारित प्रपत्र अनुसार अनुबंध निष्पादित करना होगा।
- निविदाकार को निविदा “प्रपत्र क्रमांक 3” जिसमें दरें भरनी होगी, सिर्फ ओर सिर्फ ऑनलाइन माध्यम से ही भेजा जाय एवं भौतक रूप से प्राप्त दरों को निरस्त माना जावेगा।

11. किसी भी निविदा को बिना कारण बताए हुए निरस्त करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी को होगा।
12. निविदाकार वर्तमान प्रचलित डीजल दरों को ध्यान में रखते हुए निविदा में दर प्रस्तुत करें। निविदा स्वीकृत पश्चात ठेका अवधि में डीजल की दरों में जो भी वृद्धि/कमी होगी, उसका प्रभाव वितरक सह—परिवहनकर्ता को दुग्ध संघ द्वारा स्वीकृत परिवहन दर में संघ द्वारा निर्धारित नियमानुसार समानुपातिक रूप से प्रभावशील किया जा सकेगा। डीजल दरों में वृद्धि/कमी की औसत गणना कर प्रत्येक छ: माह में परिवर्तन प्रभावशील किया जावेगा।
13. निविदा प्रपत्र के साथ संघ के साथ किये जाने वाले अनुबंध का प्रारूप संलग्न है जिसकी शर्तें आवश्यक रूप पढ़ कर समझ लें। वर्तमान में मार्गावार विक्रय केन्द्र एवं उन पर विक्रय हो रहे सॉची दूध की मात्रा की जानकारी निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न है।
14. निविदा स्वीकृति के उपरांत वितरक सह—परिवहनकर्ता की कार्य अवधि दो वर्षों के लिए प्रभावशील रहेगी। दुग्ध संघ द्वारा वितरक सह—परिवहनकर्ता का कार्य दो वर्षों की अवधि में संतोषप्रद पाए जाने पर अनुबंध की समान शर्तों एवं निर्धारित दर पर कार्य अवधि एक—एक वर्ष करके तीन वर्षों तक आपसी सहमति से बढ़ायी जा सकेगी।
15. निविदा अवधी के दौरान किसी वितरण मार्ग पर वाहन की क्षमता से अधिक दुग्ध विक्रय होने पर संबंधित वितरक सह—परिवहनकर्ता को प्रबंधन के निर्देशानुसार अतिरिक्त वाहन की व्यवस्था स्वयं के व्यय पर करनी होगी।
16. सभी औपचारिकताएं निर्धारित अवधि में पूर्ण करना अनिवार्य होगा। निर्धारित अवधि में कार्यवाही पूर्ण न होने पर कार्य आदेश निरस्त किया जा सकेगा एवं अमानत राशि भी राजसात की जा सकेगी।
17. वितरक सह—परिवहनकर्ता को FSSAI अन्तर्गत परिवहन का पंजीयन कराना अनिवार्य होगा।
18. निविदा प्रपत्र क्रमांक 04 में अनुबंध से संबंधी दर्शाई गई समस्त शर्तें इस निविदा पर बंधनकारी रहेगी।
19. दुग्ध संघ द्वारा वितरक सह—परिवहनकर्ता को दुग्ध विक्रय हेतु विक्रय लक्ष्य दिये जाएंगे, जिनकी पूर्ति करना अनिवार्य होगा।
20. वर्तमान में दुग्ध संघ के साथ कार्य कर रहे किसी भी ठेकेदारा द्वारा इस निविदा में भाग लिया जाता है तो निविदा स्वीकृत होने के एक सप्ताह के अन्दर वर्तमान ठेके से संबंधित लेनदारी—देनदारी का पूर्ण हिसाब कर बकाया धनराशि एवं क्रेट दुग्ध संघ में जमा कराने होंगे अन्यथा निविदा स्वतः निरस्त होकर ई.एम.डी राशि राजसात हो जावेगी तथा भविष्य के लिए ऐसी पार्टी को ब्लेक लिस्ट किया जावेगा।
21. दुग्ध संघ के कोई भी अधिकारी/कर्मचारी, माननीय अध्यक्ष, एवं संचालक मण्डल के सदस्य स्वयं अथवा उनके रिश्तेदार निविदा में भाग लेने के पात्र नहीं होंगे, इस बाबत् निविदाकार को शपथ पत्र निविदा के साथ प्रस्तुत करना होगा।
22. यदि दो या दो से अधिक निविदाकार द्वारा एक समान न्यूनतम दरें प्रस्तुत की जाती है तो प्रथमतः नवीनतम मॉडल के वाहन हेतु प्रस्तुत निविदा को प्राथमिकता दी जावेगी। वाहन मॉडल भी समान पाये जाने पर दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थ विक्रय में अनुभव रखने वाली पार्टी को वरियता दी जाएगी। परन्तु एक समान परिस्थिति में न्यूनतम दर समान होने पर समान दर प्रस्तुत करने वाली समस्त पार्टीयों से गठित समिति के समक्ष खुली बोली लगावाई जाकर न्यूनतम दर ऑफर करने वाली पार्टी को चयनित किया जावेगा।
23. निविदाकार को दो व्यक्तियों से दो—दो लाख रूपये की ग्यारंटी बतौर ग्यारंटर के तौर पर 500 रूपये स्टॉम्प पेपर पर नोटराइज्ड कर प्रस्तुत करना होगी तथा जमानत नामे पर जमानतदार की 2 लाख की अचल संपत्ति का स्पष्ट रूप से उल्लेख करते हुए स्वामित्व संबंधित समस्त दस्तावेजों की छायाप्रति दुग्ध संघ में उपलब्ध करानी होगी।

मेरे द्वारा सॉची दूध वितरक सह-परिवहनकर्ता की निविदा एवं अनुबंध की शर्त पढ़ व समझ ली है तथा मैं/ हम सभी शर्तों को मानने के लिए सहज तैयार हूँ/है। निविदा में दी गई जानकारी पूर्णतः सत्य है। यदि मेरे द्वारा निविदा में प्रस्तुत जानकारी असत्य प्रमाणित होती है या मैं बिन्दु क्रमांक 01 से 23 तक वर्णित शर्तों को पालन नहीं करता हूँ तो मेरी निविदा निरस्त कर मेरी अर्नेस्टमनी राजसात करने का प्रबंध द्वारा निर्णय किया जाता है तो मैं इस हेतु अपनी सहमति देता हूँ।

हस्ताक्षर

आवेदक का नाम एवं पता



प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित,
उज्जैन

पासपोर्ट
साईज फोटो
(स्व प्रमाणित)

महोदय,

दुग्ध वितरक सह-परिवहनकर्ताओं के कार्य हेतु दिनांक को दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित ई-निविदा के संदर्भ में निवेदन करता हूँ कि मेरे द्वारा निविदा प्रपत्र में वर्णित समस्त शर्तें एवं निर्देश पढ़ कर समझ लिए गये हैं। यदि मेरी निविदा स्वीकृत की जाती है तो मैं आपके द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार कार्य करने हेतु सहमत हूँ। अतः एतत् द्वारा अमानत राशि रु. 25000/- (अक्षरी रु. पच्चीस हजार मात्र) ऑनलाईन माध्यम से जमा कर जमा स्लीप संलग्न किया जा रहा है।


तकनीकी अहर्ताएं

क्रमांक	आवश्यक अहर्ता	विवरण जानकारी	अनिवार्यतः संलग्न किये जाने वाले स्व प्रमाणित दस्तावेज
1.	ठेकेदार का नाम व पता (संस्था/फर्म आदि की दशा में पंजीयन का प्रमाण)		संस्था पंजीयनकर्ता कार्यालय का पत्र/प्रमाण पत्र।
2	यदि कोई पार्टनर हो तो उनका नाम व पता।		पंजीकृत पार्टनरशीप डीड।
3	संस्था/फर्म होने की दशा में मुख्य कार्यपालन अधिकारी/अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम		संस्था /फर्म के संचालक मंडल/ मुख्य कार्यपालन अधिकारी का अधिकार पत्र।
4	निविदाकर्ता का पेनकार्ड नम्बर होना अनिवार्य।		पेनकार्ड की छायाप्रति संलग्न करें।
5	GST नम्बर होना अनिवार्य है। नया कार्य आरंभ करने की स्थिति में आवेदनकार को GST नम्बर आवेदन की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है।		GST नम्बर/आवेदन की छायाप्रति संलग्न

6	उपलब्ध वाहन का प्रकार (नया वाहन खरीदने की स्थिति में तदाशय का शपथ पत्र संलग्न करें। जिसमें मार्ग का नाम उल्लेखित करते हुए निविदा में वांछित क्षमता व मॉडल का इंशुलेटेड वाहन प्रस्तुत किया जाएगा।)		उपलब्ध वाहन के पंजीयन अथवा अनुबंध की प्रति या नवीन वाहन खरीदने का मूल शपथ पत्र संलग्न करें।
7	परिवहनकर्ता का FSSAI का पंजीयन आवश्यक है। (FSSAI उपलब्ध नहीं होने की दशा में FSSAI हेतु आवेदन कर रसीद प्रस्तुत करना होगी।		FSSAI प्रमाण पत्र की प्रति या FSSAI हेतु आवेदन कर रसीद प्रस्तुत करें।
8	ई.एम.डी. राशि एवं निविदा क्रय करने के मूल्य की रसीद।		ऑनलाईन जमा राशि की मूल रसीद संलग्न करें।
9	बैंक का नाम एवं खाता क्रमांक		बैंक स्टेटमेन्ट की एक वर्ष की छायाप्रति या निरस्त चैक लगावें।
10	वित्तीय वर्ष (कर निर्धारण वर्ष 2016–17, 2017–18 एवं 2018–19) आयकर का रिटर्न दाखिल करने का प्रमाण		आयकर विभाग में रिटर्न जमा करने की पावती एवं रिटर्न की कॉपी। (छायाप्रति संलग्न करें)
11	निविदाकर दुग्ध संघ का कर्मचारी / संचालक मण्डल सदस्य अथवा रिश्तेदार नहीं है इस आशय का शपथ पत्र।		मूल शपथ संलग्न करें।
12	निविदाकार को एमपीसीडीएफ भोपाल अथवा सम्बद्ध किसी भी दुग्ध संघ द्वारा किसी भी प्रकार की अनियमितता के कारण टर्मिनेट अथवा ब्लेक लिस्ट नहीं किया गया हो। इस आशय का शपथ पत्र।		मूल शपथ संलग्न करें।
13	टर्न ओवर		बेलेन्स शीट की छायाप्रति संलग्न की जाए।

नोट:-

1. उक्त दस्तावेजों (जिनकी छायाप्रतियां मांगी गई हैं) की स्वयं के द्वारा प्रमाणित छायाप्रतियां संलग्न करना अनिवार्य है, तथा निविदा स्वीकृति होने पर मूल दस्तावेजों से सत्यापित कराना अनिवार्य है।
2. तकनीकी अहताओं संबंधित प्रपत्र क्रमांक 01 निविदा की शर्ते एवं प्रपत्र क्रमांक 02 पूर्ण रूप से भरकर हस्ताक्षर कर आर्नेस्ट मनी डी.डी. के साथ एक लिफाफे में एवं निविदा दर सम्बन्धी प्रपत्र क्रमांक 03 ऑनलाईन के माध्यम से प्रस्तुत करना होगी। तकनीकी अहताएं पूर्ण करने वाले निविदाकार की ही निविदा दरें खोली जावेगी। प्रपत्र क्रमांक 04 , अनुबंध की शर्तों का प्रारूप पढ़कर, समझकर मान्य होने की स्थिति में ही निविदा प्रस्तुत करें।
3. उपरोक्त जानकारियों में से कोई भी जानकारी वर्तमान में अथवा भविष्य में कभी भी असत्य पाये जाने पर ठेका निरस्त कर अमानत राशि राजसात की जा सकेगी।



प्रपत्र क्रमांक –03

साँची दूध वितरक सह–परिवहनकर्ता हेतु भाव पत्र (रतलाम शहर हेतु)

पासपोर्ट
साईज फोटो
चर्चा करें।

1. आवेदन का नाम —
2. पिता का नाम —
3. स्थाई पता
(प्रमाण सहित)
दूरभाष नं./मोबाईल नं. —
4. आवेदित मार्ग क्रमांक —
5. निविदा में निम्नानुसार दरें प्रस्तुत करता हूँ। (दरें केवल ऑनलाईन प्रस्तुत की गई दरें ही मान्य की जावेगी।)

क्र.	मार्ग का नाम	प्रस्तावित दर (रूपये / पैसे) प्रतिलीटर	
		अंकों में	शब्दों में
1	वितरक मार्जिन	0.36	छत्तीस पैसे मात्र
2	परिवहन दर		
	कुल मार्जिन (1 + 2)		

नोट :—यदि दो या दो से अधिक निविदाकार द्वारा एक समान न्यूनतम दरें प्रस्तुत की जाती है तो प्रथमतः नवीनतम मॉडल के वाहन हेतु प्रस्तुत निविदा को प्राथमिकता दी जावेगी। वाहन मॉडल भी समान पाये जाने पर दुग्ध विक्रय में अनुभव रखने वाली पार्टी को वरियता दी जाएगी। परन्तु एक समान परिस्थिति में न्यूनतम दर समान होने पर समान दर प्रस्तुत करने वाली समस्त पार्टियों से गठित समिति के समक्ष खुली बोली लगावाई जाकर न्यूनतम दर ऑफर करने वाली पार्टी को चयनित किया जावेगा।

दिनांक

हस्ताक्षर

आवेदक / अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम
एवं पूर्ण पता

पता —

—————

—————

इकरारनामा बाबत अधिकृत वितरक सह–परिवहनकर्ता

यह अनुबंध आज दिनांकको लिखा गया जिसका प्रथम पक्ष मुख्य कार्यपालन अधिकारी, अथवा इस पद पर आने वाले पदाधिकारी, उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, मक्सी रोड़ उज्जैन एवं द्वितीय पक्ष श्री.....
.....है।

प्रथम पक्ष ने द्वितीय पक्ष को उज्जैन शहर के लिए मार्ग क्रमांक पर साँची दुग्ध का वितरक सह–परिवहनकर्ता निम्नानुसार शर्तों पर नियुक्त करना स्वीकार किया है।

संलग्न परिशिष्ट इस अनुबंध को एक भाग है, जिसे वितरक सह–परिवहनकर्ता हेतु शर्त कहा जावेगा, उक्त शर्तों में जहां – जहां संघ शब्द आवेगा, उसका अर्थ उज्जैन सहाकार दुग्ध संघ मर्यादित, उज्जैन से होग एवं इसकी समस्त शर्त दोनों पक्षों के लिए लागू रहेगी।

वितरक सह–परिवहनकर्ता से तात्पर्यसे होगा, जिसे आगे द्वितीय पक्ष के नाम से संबोधित किया गया है। यह ठेका प्रारंभ दिनांकसे दो वर्ष की अवधि हेतु अर्थात दिनांकतक प्रभावशील रहेगा। रतलाम शहर के लिए वितरक सह परिवहनकर्ता कमीशन रूपये 0.36 (छत्तीस पैसे मात्र) प्रति लीटर तथा प्रदाय किये गये दूध पर वितरण परिवहन दर रूपये प्रति लीटर इंसुलेटेड वाहन हेतु रहेगी। इसके अतिरिक्त प्रथम पक्ष द्वारा किसी भी प्रकार की धनराशि का भुगतान द्वितीय पक्ष को नहीं किया जावेगा।

- वर्तमान में वितरक को रूपये 0.36 प्रतिलीटर वितरक मार्जिन दिया जा रहा है। संघ द्वारा समय–समय पर वितरक मार्जिन के संशोधित करने पर वितरक सह–परिवहनकर्ता पर बंधनकारी होगा।
- वितरक सह–परिवहनकर्ता द्वारा डेयरी संयंत्र रतलाम से निविदा में वर्णित अनुसार स्वयं के नाम से पंजीकृत/अनुबंधित वांछित इंसुलेटेड वाहन से आवश्यकतानुसार दूध उठाया जाएगा एवं शहर में आवंटित मार्ग में पर स्थित साँची पॉर्लर/रिटेलर/संस्था आदि को निर्धारित समय पर दूध वितरित किया जाएगा, तथा प्रतिदिन सुबह एवं शाम दोनों पालियों में सम्पूर्ण मार्ग पर अनिवार्य रूप से प्रदायगी करनी होगी।
- वितरक सह–परिवहनकर्ता को शहर में एक कार्यालय खोलना होगा तथा इस कार्यालय में समस्त आवश्यक विषयन संबंधी अधोसंरचना स्थापित करना होगी, जिसकी समस्त व्यवस्था एवं व्यय का दायित्व वितरक सह–परिवहनकर्ता का होगा।
- संघ के अतिरिक्त वितरक सह–परिवहनकर्ताओं को भी अपने स्तर से दुग्ध विक्रय केन्द्र चालू करना होंगे तथा इन केन्द्रों को नियमित करने हेतु नियमित रूप से अनुशंसाएं संघ को प्रेषित करना होगी।
- वितरक सह–परिवहनकर्ताओं को गत वर्ष समान माह में विक्रय हुई दूध मी मात्रा की तुलना में 20 प्रतिशत वृद्धि करना अनिवार्य होगा। अन्यथा संक्षिप्त समीक्षा कर वितरक सह – परिवहनकर्ता का कार्य समाप्त किया जा सकेगा।
- दुग्ध संघ द्वारा वितरक सह–परिवहनकर्ता को दूध वितरण करने क्रेट वापस करने समस्त विक्रय केन्द्रों से पृथक–पृथक मांग प्राप्त कर समेकित रूप से प्रस्तुत करने तथा दूध की

राशि प्राप्त करने के लिए वितरक को 36 पैसे प्रतिलीटर का मार्जिन दिया जाएगा तथा दुग्ध संघ द्वारा रिटेलरों या उपभोक्ताओं को दिये जाने वाले मार्जिन, अग्रिम कार्ड छूट या अन्य प्रोत्साहन योजना को यथावत पास ॲन करना होगा।

7. वितरक सह-परिवहनकर्ता को संघ कार्यालय में प्रतिभूति राशि मद में मार्ग विवरण में वर्णित अनुसार कुल प्रतिदिन विक्रय किये गये दूध के मुल्य की पांच गुना राशि प्रतिभूति राशि रूपये 10,00,000 के रूप में संघ कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा, जिसमें 40 प्रतिशत नगद राशि रूपये 4,00,000 एवं शेष 60 प्रतिशत राशि रूपये 6,00,000 उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, उज्जैन के नाम बैंक ग्यारंटी के रूप में संघ कार्यालय में जमा करनी होगी। संघ में जमा की गई नगद राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। दुग्ध विक्रय में वृद्धि होने पर पांच दिवस की दूध विक्रय की मात्रा की राशि के समतुल्य अतिरिक्त प्रतिभूति राशि संघ में जमा करना होगी। सफल निविदाकार को उपरोक्त प्रतिभूति के अतिरिक्त प्रतिदिन आवश्यक क्रेटों की संख्या की तीन गुना क्रेटों की वर्तमान दर आधार पर क्रेट प्रतिभूति राशि जमा करनी होगी। प्रतिभूति राशि जमा करने के उपरांत ही कार्य आदेश जारी किये जाएंगे। सफल निविदाकार को दो व्यक्तियों से तीन लाख रूपये की ग्यारंटी बतौर ग्यारंटर के तौर पर 500 रूपये स्टॉम्प पेपर पर नोटराईज्ड कर प्रस्तुत करना होगी।
8. वितरक सह-परिवहनकर्ताओं को दैनिक रूप से दुग्ध विक्रय के विरुद्ध राशि संबंधित दुग्ध विक्रय केन्द्रों से स्वयं वसूल करना होगी। इसके लिए दुग्ध संघ जवाबदार/जिम्मेदार नहीं होगा।
9. वितरक सह-परिवहनकर्ताओं को प्रतिदिन दुग्ध विक्रय राशि (सुबह शाम मिलाकर) का भुगतान आरटीजीएस (ई-पेमेन्ट) के माध्यम से अग्रिम जमा करना होगा। ई-पेमेन्ट के माध्यम से प्राप्त भुगतान की जानकारी वित्त शाखा द्वारा विपणन शाखा को उपलब्ध कराने पर संबंधित मार्ग के दुग्ध परिवहनकर्ता को दुग्ध प्रदाय किया जायेगा। अपरिहार्य स्थिति जैसे – इंटरनेट बैंकिंग के सर्वर डाउन होने, आदि की स्थिति में वितरक सह परिवहनकर्ता की संघ में रेखांकित (दुग्ध संघ के हित में) धनादेश देगा। धनादेश देकर भुगतान प्राप्त किया जाएगा। धनादेश बाउंस होने पर संघ के नियम अनुसार रूपये 1000/- प्रतिदिन अर्थदण्ड सहित संपूर्ण राशि संघ में जमा करनी होगी। राशि जमा न करने की स्थिति में दुग्ध संघ वितरक का कानुनी कार्यवाही मय हर्जे-खर्चे करने हेतु स्वतंत्र होगा, तथा बाउंस धनादेश के तहत भुगतान प्राप्त करने का हकदार होगा। या उसके द्वारा रखी गई जमानत राशि/बैंक ग्यारंटी फिक्स डिपॉजिट/ग्यारंटर से अलग-अलग या मिलाकर वसूली करने का पूर्ण अधिकार दुग्ध संघ को होगा। अवकाश की स्थिति में अवकाश दिवसों की प्रदायगी की धनराशि भी अग्रिम रूप से जमा करनी होगी। यह भुगतान चेक/आरटीजीएस के माध्यम से संघ द्वारा प्राप्त किया जाएगा। विशेष परिस्थितियों में वितरक सह-परिवहनकर्ता द्वारा संघ के सक्षम अधिकारी से अनुमति लेकर नगद राशि भी संघ में जमा की जा सकेगी। संघ द्वारा बताई गई बैंकों की सूची में से किसी एक बैंक में वितरक सह-परिवहनकर्ता को वित्तीय व्यवहार के लिए खाता खोलना अनिवार्य होगा।
10. दुग्ध संघ द्वारा वितरक सह-परिवहनकर्ताओं को कार्य प्रारंभ करने पर विक्रय मात्रा को दृष्टिगत रखते हुए क्रेट स प्रदाय की जाएगी, जिसके लिए वर्तमान में क्रेट क्रय दर के आधार पर तीन दिन के विक्रय हेतु आवश्यक क्रेटों की राशि..... दुग्ध संघ में नगद अथवा बैंक ग्यारंटी द्वारा जमा करनी होगी। विक्रय में वृद्धि होने पर आवश्यकतानुसार अतिरिक्त राशि नगद दुग्ध संघ में बतौर क्रेट प्रतिभूति जमा करनी होगी। जिसे कार्य समाप्त होने पर संपूर्ण क्रेट जमा कम जमा की गई क्रेटों की

तत्समय प्रभावशील क्रेट क्रय दर के आधार पर धनराशि कटोत्रा कर बिना ब्याज के दुग्ध संघ द्वारा वितरक सह—परिवहनकर्ता को वापस किया जा सकेगा।

11. वितरक सह—परिवहनकर्ताओं द्वारा जितने क्रेट दुग्ध प्रदाय हेतु लिये जाएंगे उतने ही क्रेट दैनिक रूप से संघ में जमा करना अनिवार्य होगा। नियमित विक्रय मात्रानुसार लगने वाले क्रेट की संख्या की 20 प्रतिशत से अधिक बकाया होने पर रूपये 2/- प्रतिक्रेट प्रतिदिन की शास्ती लगाई जा सकेगी। क्रेटों का मिलान प्रत्येक 10 दिवस में संघ स्तर पर किया जाएगा। जितने भी क्रेट्स वितरक सह—परिवहनकर्ताओं द्वारा एक माह में कम जमा किये जाएंगे उनकी राशि तत्समय क्रेट की लागू क्रय दर से गणना कर परिवहन देयकों से कटोत्रा कर ली जाएगी। जो किसी भी परिस्थिति में वापसी योग्य नहीं होगी।
12. वितरक सह—परिवहनकर्ताओं को शाम पाली की मांग दैनिक रूप से दिन के 11 बजे तक एवं अगले दिन की प्रातः पाली की मांग शाम की 3 बजे तक संघ को अवगत कराना होगी। इसके अतिरिक्त विशेष परिस्थितियों में यदि मांग में वृद्धि की जाना है तो वितरक सह—परिवहनकर्ताओं कार्यालय से सहमति लेने के उपरांत ही मांग की पुष्टि कर सकेगा। संघ स्तर से पुरे प्रयास किये जाएंगे कि वितरक सह—परिवहनकर्ताओं को मांग अनुसार दूध प्रदाय किया जा सके। किन्तु किन्हीं अपरिहार्य कारणों से यदि संघ द्वारा मांग अनुसार दूध प्रदाय संभव नहीं हो पाता है तो दुग्ध संघ द्वारा द्वितीय पक्ष को किसी भी प्रकार के नुकसान की भरपाई नहीं की जाएगी।
13. वितरक सह—परिवहनकर्ताओं को निविदा में वर्णित क्षमता एवं मॉडल अनुसार दुग्ध वितरण व्यवस्था हेतु स्वयं के नाम का पंजीकृत/अनुबंधित इंसुलेटेड वाहन के माध्यम से करना होगी जिससे की दूध गुणवत्ता में किसी प्रकार का विपरित प्रभाव परलक्षित न हो। निर्धारित समय में इंसुलेटेड वाहन के माध्यम से वितरण नहीं पाये जाने पर वितरक सह—परिवहनकर्ता को परिवहन हेतु दिये गये मार्जिन से 10 प्रतिशत राशि का कटोत्रा कर लिया जावेगा। वितरक सह—परिवहनकर्ता को वाहन का रजिस्ट्रेशन, फिटनेस, परमिट एवं बीम से संबंधित समस्त दस्तावेजों की छायाप्रतियां प्रत्येक वर्ष दुग्ध संघ में जमा करनी होगी।
14. वितरक सह—परिवहनकर्ता द्वारा स्वयं के व्यय पर वितरण वाहनों को संघ द्वारा निर्धारित डिजाईन से पेन्ट कराना आवश्यक होगा।
15. किसी भी वाहन के खराब होने पर, दुर्घटनाग्रस्त होने या अन्य कोई कमी होने के कारण वैकल्पिक वाहन की व्यवस्था स्वयं वितरक सह—परिवहनकर्ताओं अपने स्तर से करना अनिवार्य होगा तथा ऐसी स्थिति में हुए सभी प्रकार के नुकसान वितरक सह—परिवहनकर्ताओं द्वारा वहन किया जावेगा।
16. दुग्ध संघ स्तर से दूध की बिलिंग स्वीकृत परिवहन दर, वितरक मार्जिन एवं फुटकर विक्रेता का मार्जिन घटाकर ही की जावेगी एवं वितरक सह—परिवहनकर्ताओं द्वारा रिटेलर/फूटकर विक्रेता का मार्जिन कम कर ही फूटकर विक्रेता से राशि प्राप्त की जावेगी। इस प्रकार वितरक सह—परिवहनकर्ता को स्वीकृत परिवहन व्यय तथा वितरक मार्जिन एवं फुटकर विक्रेता को दैनिक रूप से उनके द्वारा विक्रय किये गये दूध का मार्जिन प्राप्त हो सकेगा।
17. दुग्ध द्वारा संस्थाओं को सीधे प्रदाय किये गये दूध की मात्रा पर वितरक मार्जिन नहीं दिया जाएगा। अर्थात् केवल स्वीकृत दरों पर परिवहन व्यय ही दिया जाएगा। इस हेतु संबंधित संस्थाओं से प्रदायित मात्रा सत्यापित करवाकर देयक के साथ प्रस्तुत करना होगी। यदि

दुग्ध संघ द्वारा प्रदायित मात्रा तथा संस्था को प्राप्त मात्रा में कोई भिन्नता/कमी होती है तो कम मात्रा की धनराशि परिवहन देयको से काट ली जाएगी।

18. यदि वितरक सह—परिवहनकर्ताओं द्वारा दिये गये चैक बैंक द्वारा किसी भी कारण से अनादरित कर बिना भुगतान के वापस किये जाते हैं तो दुग्ध संघ द्वारा तत्काल उसकी सूचना वितरक सह—परिवहनकर्ताओं को मोबाइल/या दूरभाष पर ही दी जावेगी तथा वांछित राशि वितरक सह—परिवहनकर्ताओं द्वारा तत्काल दुग्ध संघ में जमा करनी होगी। साथ ही प्रत्येक अनादरित चेक के लिए राशि रूपये 1000/- अर्थदण्ड सहित दुग्ध संघ कर्यालय में आरटीजीएस के माध्यम से जमा कराना होगी।
19. वितरक सह—परिवहनकर्ताओं द्वारा प्रदाय चेक केवल तकनीकी कारणों को छोड़कर माह तीन या उससे अधिक बार अनादरित होते हैं तो संक्षिप्त समीक्षा कर वितरक सह—परिवहनकर्ताओं को कार्य आवंटन निरस्त कर जमा प्रतिभूति राशि राजसात करने की कार्यवाही की जा सकेगी।
20. वितरक सह—परिवहनकर्ता को दो व्यक्तियों से दो—दो लाख रूपये की ग्यारंटी बताए ग्यारंटर के तौर पर 500 रूपये स्टॉम्प पेपर पर नोटराईज्ड कर प्रस्तुत करना होगी तथा जमानत नामे पर जमानतदार की 2 लाख की अचल संपत्ति का स्पष्ट रूप से उल्लेख करते हुए स्वामित्व संबंधित समस्त दस्तावेजों की छायाप्रति दुग्ध संघ में उपलब्ध करानी होगी।
21. न्यायोचित कारणों से वितरक सह—परिवहनकर्ताओं को कार्य छोड़ने हेतु एक माह पूर्व (30 दिवस) का नोटिस देना अनिवार्य होगा। नोटिस अवधि में संघ द्वारा पुनः निविदा आमंत्रित करने की कार्यवाही की जा सकेगी। किन्तु निविदा प्रक्रिया पूर्ण होने पर संघ द्वारा निर्देशित करने पर वितरक सह—परिवहनकर्ताओं को यथावत कार्य करना होगा। इसी प्रकार उज्जैन दुग्ध संघ द्वारा वितरक सह—परिवहनकर्ताओं को 30 दिवस का नोटिस देकर बिना कोई कारण बताएं हटा दिया जा सकेगा। वितरक सह—परिवहनकर्ता द्वारा कार्य छोड़ने का न्यायोचित कारण न पाये जाने की स्थिति में संस्था को होने वाली कुल हानि की पूर्ति वितरक सह—परिवहनकर्ता से प्राप्त करने का अधिकारी दुग्ध संघ को होगा।
22. वितरक सह—परिवहनकर्ताओं के पास पेन कार्ड एवं खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अनुसार एफ.एस.एस.ए.आई. लायसेंस होना अनिवार्य है। एफ.एस.एस.ए.आई. लायसेंस हेतु आवेदन की स्थिति में छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगी व उपरोक्त समस्त दस्तावेज उपलब्ध कराने पर ही कार्य आदेश जारी किया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष – 2017–18 का आयकर रिटर्न/बैंक व्यवहरों का विवरण निविदा प्रक्रिया पूर्ण होने तक संघ द्वारा निर्देशित करने पर यथावत कार्य करना होगा।
23. निविदा की शर्तों/अनुबंधों में वर्णित शर्तों के उल्लंघन पर वितरक सह—परिवहनकर्ता को बिना कोई अग्रिम सूचना दिए संघ द्वारा हटाया जा सकेगा एवं यदि संघ उचित समझेगा तो वितरक सह—परिवहनकर्ता की अमानत राशि राजसात की जायेगी।
24. वितरक सह—परिवहनकर्ताओं की कार्यावधि प्रथमतः दो वर्ष होगी एवं कार्य संतोषप्रद होने पर आपसी सहमति से अनुबंध की समान शर्तों एवं निर्धारित दर पर कार्य अवधि एक—एक वर्ष कर तीन वर्ष तक बढ़ाई जा सकेगी।

25. किसी भी दशा में क्षेत्रीय विक्रय केन्द्र की आपूर्ति बन्द कर दी जाती है तो वितरक सह—परिवहनकर्ताओं का यह दायित्व होगा कि उस क्षेत्र के नियमित उपभोक्ताओं को दूध की आपूर्ति हेतु तत्काल वैकल्पिक व्यवस्था उसी क्षेत्र में करें।
26. वितरक सह—परिवहनकर्ताओं को प्रतिमाह मार्ग वार प्रतिदिन की दर वार विक्रय होने वाले दूध की मात्रा का माह में औसत विक्रय रिपोर्ट विक्रय केन्द्रों से प्राप्त कर दुग्ध संघ के प्रत्येक माह की 10 तारिख तक प्रस्तुत करना होगा। जिसके आधार पर दुग्ध संघ की स्थानिय विक्रय रिपोर्ट तैयार की जाएगी।
27. शहर में समय समय पर आयोजित होने वाले धार्मिक कार्यक्रम, मेला प्रदर्शनी आदि आयोजनों में लगने वाले दूध की मांग यदि संघ को सीधे प्राप्त होती है तो संघ द्वारा निर्धारित विशेष रियायती दरों पर दूध प्रदाय संबंधित वितरक सह परिवहनकर्ता के माध्यम से की जाएगी, संबंधित आयोजनकर्ता/संस्था से संघ द्वारा निर्धारित छूट देते हुए वितरक सह—परिवहनकर्ता को भुगतान प्राप्त करना होगा। अन्यथा संघ द्वार सीधे व्यवस्था करने पर वितरक सह—परिवहनकर्ता को ऐसी प्रदायगियों पर कोई मर्जिन का भुगतान नहीं किया जावेगा।
28. वितरक सह—परिवहनकर्ता दुग्ध संघ द्वारा निर्धारित वितरक मूल्य पर सॉची दूध एक्स डेयरी डॉक रत्लाम पर उसकी मांग अनुसार विपणन हेतु प्राप्त करेगा, किन्तु कतिपय कारणों से जैसे पावर सप्लाई में गड़बड़ी दुग्ध संयंत्र की यांत्रिकी गड़बड़ी से मटेरियल (दुग्ध व अन्य पैकेजिंग सामान आदि) की अनुपलब्धता, हड्डताल, भुकंप आदि की स्थितियों में यदि दुग्ध संघ वितरक की मांग अनुसार उसे सॉची दूध/दुग्ध पदार्थ उपलब्धता नहीं करा पाता है, तो ऐसी स्थिति में अनुसार/उसे सॉची दूध/दुग्ध पदार्थ उपलब्धता नहीं करा पाता है तो ऐसी स्थिति में दुग्ध संघ द्वारा किसी भी तरह का हर्जाना आदि नहीं दिया जाएगा।
29. कार्य आवंटन उपरांकत अनुबंध अवधि में यदि वितरक सह—परिवहनकर्ताओं की मृत्यु हो जाती है तो ऐसी स्थिति में कार्य को आगे जारी रखने एवं समस्त दायित्वों को निर्वहन करने के लिए वितरक सह—परिवहनकर्ता को विधि अनुसार उत्तराधिकारी नामित करना होगा। इसके लिए वितरक सह—परिवहनकर्ता को उत्तराधिकारी के फोटो एवं उनसे संम्बंध आदि सम्पूर्ण विवरण का नोटरी किया हुआ शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
30. वितरक सह—परिवहनकर्ता की संघ में निर्धारित वितरण कार्य हेतु अवधि में वितरक सह—परिवहनकर्ता द्वारा वाहन पंजीकरण से संबंधित दस्तावेजों में परिवर्तन बिना संघ की अनुमति के नहीं किया जावेगा। यदि किसी कारण वितरक सह—परिवहनकर्ता संघ से अनुबंधित वाहन विक्रय करता है या उसे बदलना चाहता है तो इस संघ की अनुमति लेना आवश्यक है तथा वाहन के विक्रय/बदलने के लिए पूर्व वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित करना वितरक सह—परिवहनकर्ता का दायित्व होगा।
31. वितरक सह—परिवहनकर्ताओं को दूध प्रदाय करते समय प्रत्येक दृष्टि से उसकी जांच परख सुनिश्चित करना होगा। प्रदाय होने के पश्चात लीकेज/कम मात्रा अथवा क्रेट की जवाबदारी वितरक सह—परिवहनकर्ताओं की होगी।
32. दुग्ध संघ द्वारा वितरक सह—परिवहनकर्ता को दुग्ध विक्रय हेतु विक्रय लक्ष्य दिये जाएंगे, जिनकी पूर्ति करना अनिवार्य होगा। अन्यथा दुग्ध संघ के हित में संक्षिप्त समीक्षा का किसी भी समय बिना अग्रिम सूचना किये वितरक सह परिवहनकर्ता मार्ग का अनुबंध समाप्त करने हेतु दुग्ध संघ पूर्णतः स्वतंत्र होगा।
33. वितरक सह परिवहनकर्ताओं को संघ निर्धारित शर्तों के अनुसार रूपये 1000/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पेपर पर अनुबंध निष्पादित करना होगा।

34. दुग्ध संघ को किसी भी वितरक/संस्था/होटल/केन्टीन शादी समारोह में सीधे भी दूध प्रदाय करने का अधिकर होगा।
35. वितरक सह—परिवहनकर्ता का कार्य आवंटन अहस्तांतरणीया होगा। यदि कार्य अवधि में किसी भी समय यह पाया जाता है कि वितरक सह—परिवहनकर्ता द्वारा किसी अन्य व्यक्ति/पार्टी अथवा संस्था आदि को हस्तांतरित किया है तो दुग्ध संघ द्वारा बिना किसी पूर्व सूचना के तत्काल वितरक सह—परिवहनकर्ता का कार्य आवंटन निरस्त कर दिया जाएगा।
36. यदि पक्षकारों के बीच इस ठेके विषय में कोई विवाद खड़ा हुआ तो उसे मध्यस्थता (Arbitrator) के माध्यम से विवाद के निराकरण हेतु (Arbitrator) अध्यक्ष, उज्जैन दुग्ध संघ, उज्जैन के समक्ष रखा जाएगा। जिनका निर्णय दोनों पक्षों को मान्य होगा।
37. इस अनुबंध को न्यायिक कार्यक्षेत्र उज्जैन शहर का न्यायालय में रहेगा। यह अनुबंध उपरोक्त शर्तों के अधीन दुग्ध संघ एवं वितरक सह—परिवहनकर्ता की आपसी रजामंदी के तहत दिनांकनिष्पादित किया गया है।
38. वितरक सह—परिवहनकर्ता द्वारा संघ द्वारा मार्ग क्रमांक पर स्थित सॉची दूध/दुग्ध पदार्थ निर्धारित विक्रय केन्द्रों (जिनकी संख्या दुग्ध संघ अपनी आवश्यकता अनुसार घटा या बढ़ा सकता है) पर सॉची दूध संघ द्वारा निर्धारित समयावधि में विक्रय केन्द्रों के माध्यम से विपणन व्यवस्था सुनिश्चित करेगा।
39. वितरक सह—परिवहनकर्ता को डेयरी डॉक से प्राप्त किये गये सॉची दूध/दुग्ध पदार्थ का वितरण कार्य केवल इसुलेटेड वाहन जिसकी भार क्षमता व वर्ष निविदा प्रपत्र में उल्लेख अनुसार ही करना अनिवार्य होगा।
40. वितरक की आकस्मिक मृत्यु होने की स्थिति में संघ उसके मान्य उत्तराधिकारी को उस स्थिति में नियुक्त कर सकता है, यदि वह उत्तराधिकारी संघ के निर्धारित शर्तों का पालन करने हेतु सहमति देता है। उत्तराधिकारी का नाम अनुबंध पत्र के निष्पादन के समय नामिनेशन प्रदान किया जाना आवश्यक है।
41. संघ डेयरी डॉक पर पैकेट में दूध क्रेट के माध्यम से देगा। जिसे निर्धारित समय में वितरक को उठाना होगा। डेयरी डॉक पर वितरक छांट कर दूध का पैकेट लेगा एवं विक्रय एजेन्टों को अच्छे पैकेट देगा। दुग्ध वितरण के उपरांत विपणन विभाग की लिखित अनुमति उपरांत ही रिटर्न दूध के पैकेट वापिस लिये जा सकेंगे।
42. वितरक सह—परिवहनकर्ता को वाहन चालक एवं लेबर के नाम व पता संघ को लिखित में सूचित करना होगा एवं इनका पुलिस वेरिफिकेशन कराया जाना आवश्यक होगा।
43. संघ द्वारा किसी भी वाहन चालक व दूध वाहन में कार्यरत लेबर को संघ परिसर में आने हेतु किसी भी कारण से यदि मना किया गया है तो उस वाहन चालक व लेबर को कोई भी अन्य वितरक सह—परिवहनकर्ता अपने वाहन में वितरण कार्य हेतु नहीं लगायेगा। इस शर्त का उल्लंघन करते पाये जाने पर दुग्ध संघ, वितरक सह—परिवहनकर्ता को कार्य आवंटन बिना नोटिस दिये निरस्त करने हेतु पूर्ण रूपेण स्वतंत्र रहेगा।
44. वितरक सह—परिवहनकर्ता को उसके वाहन पर कार्यरत कर्मचारियों का पहचान पत्र बनवाना आवश्यक होगा, जो कि उनके द्वारा सत्यापित होगा, जिससे वाहन चालक एवं वाहन सहायक को डेयरी परिसर में प्रवेश के दौरान गले में लटकाना अनिवार्य होगा। पहचान पत्र का व्यय वितरक सह—परिवहनकर्ता द्वारा वहन किया जावेगा। इसकी चैकिंग संघ की सुरक्षा शाखा द्वारा की जावेगी।
45. वितरण वाहन में कार्यरत कर्मचारी एवं एजेन्टों के बीच उठे विवादों को वितरक सह—परिवहनकर्ता अपने उपस्थिति में शांती पूर्वक सुझावेगा, ताकि विवाद न बढ़ने पाये एवं दूध वितरण कार्य में किसी प्रकार की रुकावट न आने दें।

46. वितरक सह—परिवहनकर्ता शासन के समस्त निर्धारित करों आदि के भुगतान हेतु पूर्ण/रूपेण जवाबदार होगा, तथा केन्द्र शासन/राज्य शासन के इस विषय पर समय—समय पर दिये गये निर्देशों के पालनार्थ पूर्ण रूपेण बाध्य होगा। ऐसा न करने की रिस्तेमें संबंधित समस्त कानुनी कार्यवाही वितरक के विरुद्ध की जा सकेगी।
47. वितरक सह—परिवहनकर्ता से जो भी अर्थदण्ड की राशि वसूली किया जाना अनुबंध की शर्तों में प्रस्तावित है की वसूली वितरक सह—परिवहनकर्ता से धनादेश के माध्यम से अथवा उनके द्वारा रखी जमानत राशि से की जाएगी।
48. वितरक सह—परिवहनकर्ता प्रतिमाह आवश्यकता अनुसार मार्ग के समस्त विक्रय केन्द्र के प्रभारियों को 10 तारिख तक उनके विपणित की गई दुग्ध की मात्रा, राशि आदि का लेखा—जोखा उपलब्ध करवायेगा। तथा इसकी एक प्रतिलिपि दुग्ध संघ को भी अनिवार्य से उपलब्ध कराएगा।
49. वितरक सह—परिवहनकर्ता कार्य हेतु वितरक सह—परिवहनकर्ता को इंसुलेटेड वाहन स्वयं के नाम से पंजीकृत अथवा अनुबंधित होना अनिवार्य है।
50. अनुबंधित अवधि में वर्ततान में निर्धारित मार्गों के दुग्ध विक्रय के संबंध आवश्यकता अनुसार संशोधन कर नये मार्ग बनाने का अधिकार संघ को होगा। अतः इस प्रक्रिय के अन्तर्गत वितरकों के मार्गों के वर्तमान दुग्ध विक्रय केन्द्रों को नये मार्ग में सम्मिलित किया जा सकेगा।
51. वितरक सह—परिवहनकर्ता को शासन द्वारा जारी फूड लायसेंस लेना अनिवार्य है जिसकी छायाप्रति संघ कर्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा।
52. निविदा प्रपत्र क्रमांक 03 में दी गई समस्त शर्तें इस अनुबंध का भाग मानी जाकर इस अनुबंध पत्र पर बंधनकारी होगी।
53. डेयरी परिसर में अंदर वितरक सह—परिवहनकर्ता के अधिन कार्यरत वाहन चालक द्वारा धुम्रपान, तम्बाकु, शराब आदि का सेवन एवं ऊंची आवाज में गाना बजाना आदि नहीं किया जावेगा, साथ ही वाहन चालक द्वारा डेयरी परिसर में वाहन की रफ्तार अधितम 20 कि.मी. प्रतिघंटा रखी जावेगी।
54. वितरक सह—परिवहनकर्ता अथवा उसके प्रतिनिधियों द्वारा संघ के कर्मचारियों/अधिकारियों संचालकों के साथ अभद्र व्यवहार किये जाने पर संघ द्वारा निर्देशित कार्यवाही वितरक सह—परिवहनकर्ता को करनी होगी। आदेशों का पालन न करने की दशा में किसी भी समय आवंटन निरस्त करने का अधिकार दुग्ध संघ को रहेगा।
55. उपरोक्त शर्तों के पालन में तथा संघ द्वारा समय—समय पर दिये गये निर्देशों/आदेशों एवं सूचनाओं का द्वितीय पक्षकार द्वारा पालन न करने की दशा में किसी भी समय आवंटन निरस्त करने को अधिकार प्रथम पक्षकार को रहेगा।
56. संघ द्वारा समय—समय पर जो भी निर्देश वितरकों को पत्रों/परिपत्रों के माध्यम से दिये जावेंगे, वे पत्र/परिपत्र अनुबंध का भाग माना जावेगा, व जिसका पालन वितरक सह—परिवहनकर्ता को अनिवाय रूप से करना होगा।
57. निविदाकार वर्तमान प्रचलित डीजल दरों को ध्यान में रखते हुए निविदा में दर प्रस्तुत करें। निविदा स्वीकृत पश्चात ठेका अवधि में डीजल की दरों में जो भी वृद्धि/कमी होगी, उसका प्रभाव वितरक सह—परिवहनकर्ता को दुग्ध संघ द्वारा स्वीकृत परिवहन दर में संघ द्वारा निर्धारित नियमानुसार संशोधित किया जा सकेगा। डीजल दरों में वृद्धि/कमी की औसत गणना कर प्रत्येक छ: माह में परिवर्तन प्रभावशील किया जावेगा।
58. यह कि रतलाम शहर में श्री/मेसर्स वितरक सह—परिवहनकर्ता के रूप में पैसे प्रतिलीटर पर कार्य करेंगे। (जिसमें वितरक मार्जिन पैसे प्रतिलीटर एवं परिवहन दर पैसे प्रतिलीटर समाहित होगी।)

मैं पिता / पति / पत्नि वितरक सह—
 परिवहनकर्ता, मार्ग क्रमांक अपनो उत्तराधिकारी, (नामिनी), श्री / श्रीमती
 को घोषित करता हूँ।

यह अनुबंध पत्र उभय पक्ष ने स्वेच्छा से हस्ताक्षर कर निष्पादित किया है। अनुबंध अधिकारी की समर्पित तक प्रथम पक्ष के निर्देशानुसार द्वितीय पक्ष द्वारा संतोषप्रद कार्य करने पर “नोड्यूज” प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात तथा सभी प्रकार के देयकों की वसूली उपरांत प्रथम पक्ष द्वारा अमानत राशि व बैंक ग्यारंटी वापस की जा सकेगी। अनुबंध की किसी भी कंडिका का द्वितीय पक्ष द्वारा पालन न करने पर प्रथम पक्ष द्वारा अनुबंध समाप्त कर अमानत राशि आदि राजसात करने का अधिकार प्रथम पक्ष को होगा। उभय पक्ष ने यह अनुबंध पत्र की शर्त एवं परिशिष्ट भली प्रकार अध्ययन करके स्वेच्छा से संपादित किया है, जो प्रमाण रहें एवं समय पर काम आवे।

हस्ताक्षर (प्रथम पक्ष) मुख्य कार्यपालन अधिकारी उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्या. मक्सी रोड, उज्जैन – 456010
--

हस्ताक्षर (द्वितीय पक्ष) परिवहनकर्ता नाम.....

हस्ताक्षर साक्ष्य – 1

नाम :

पता:.....

हस्ताक्षर साक्ष्य – 1

नाम :

पता:

हस्ताक्षर साक्ष्य – 2

नाम :

पता:.....

हस्ताक्षर साक्ष्य – 2

नाम :

पता:

मार्ग क्रमांक — 01			पूर्व — दक्षिण
दूसी आना—जाना प्रातः व शाम — 120 कि.मी.			
कुल विक्रय मात्रा (औसत प्रतिदिन) — 3851			
क्र.	विक्रय केन्द्र का नाम	स्थान का नाम	औसत दुर्घ विक्रय मात्रा (लीटर)
1	ललित एजेन्सी	बाजना बस स्टैण्ड	96
2	ओम किराना	टाटा नगर	100
3	रमाकांत	राजेन्द्र नगर	50
4	हिम्मत एजेंसी	हिम्मत नगर	12
5	श्री कृष्ण किराना	दीनदयाल नगर	9
6	राकेश	तोपखाना	345
7	राजेन्द्र नगर	राजेन्द्र नगर	43
8	दीपक किराना	हाटरोड	7
9	सुभाष नगर	सुभाष नगर	6
10	ईरालाल	राजेन्द्र नगर	41
11	तपर्वी	श्री कृष्ण टाकीज	29
12	महेशूद भाई	सुभाषनगर	8
13	अमित	सैफी नगर	8
14	शहर सराय पार्लर	शहर सराय चौराहा	586
15	पाठकजी शास्त्री नगर	शास्त्री नगर	30
16	राजस्व कालोनी	राजस्व कालोनी	7
17	पावर घर पार्लर	पावर हाउस रोड.	29
18	अनिल ऐरेन	शास्त्री नगर	415
19	श्रीमालीवास डिपो	श्रीमालीवास	413
20	शंकरलाल	दो मुँह की बावडी	61
21	नगर निगम पार्लर	नगर निगम रोड.	43
22	महलवाडा पार्लर	महलवाडा के पास	16
23	पैलेस रोड. डिपो	पैलेस रोड.	94
24	महालक्ष्मी चाय	महालक्ष्मी नगर	25
25	महावीर किराना	मेतीनगर	44
26	सौरभ किराना	लक्ष्मीनगर	9
27	मनोज अरोरा	थावरिया बाजार	12
28	कालिकामाता पार्लर	कालिका माता मन्दिर प्रागण	46
29	गोकुल श्री	दोबत्ती	14
30	घटला कालोनी	घटला कालोनी	12
31	दर्शन टाकिज	दर्शन टाकिज के पास	551
32	दोबत्ती पार्लर	दोबत्ती रोड.	56
33	बी.ओ.बी. पार्लर	बैंक आफ बडोदा बैंक के पास	43
34	आदर्श ज्यूस	दो बत्ती चौराहा	78
35	सैलाना यार्ड	80 फीटरोड	8
36	जी.आर.एम. पार्लर	डाट की पुल	24
37	कृषि उपज मण्डी पार्लर	कृषि उपज मण्डी	50
38	सिविल हास्पीटल	रतलाम	247
39	जिलोल	जेल रोड.	46
40	गुरु प्रसाद	लवकडपीठा	12
41	रटेशन रोड	रटेशन रोड	8
42	लोकेन्द्र	लोकेन्द्र भवन	24
43	भोजनशाला	लोकेन्द्र भवन	94
औसतन दुर्घ विक्रय			3851
नोट :— प्रतिभूति राशि	3851×45×5	866475	
नोट:— दूध का औसतन विक्रय मूल्य रूपये 45.00 प्रतिलीटर			
प्रभारी (विपणन)	सहा.माहप्रबंधक (विपणन)	महाप्रबंधक (विपणन)	
रतलाम			

मार्ग क्रमांक — 02

पश्चिम — उत्तर

दूरी आना—जाना प्रातः व शाम — 100 कि.मी.

कुल विक्रय मात्रा (औसत प्रतिदिन) — 1536

वाहन का प्रकार —बोलेरो पिकअप या समकक्ष (क्षमता 150 क्रेट) मॉडल — 2014

क्र.	विक्रय केन्द्र का नाम	स्थान का नाम	औसत दुग्ध विक्रय मात्रा (लीटर)
1	साईं डेयरी	डॉगरे नगर	19
2	महावीर किराना	डॉगरे नगर	25
3	शान्ति देवी	मुखर्जी नगर	12
4	ओम टी स्टाल	बिरिया खेडी चौराहा	8
5	भावना डेयरी	भगतसिंह नगर	71
6	भगवती डेयरी	तुमंगल गार्डन	126
7	स्वप्निल किराना	जवाहर नगर	11
8	इन्डियन आईल	इन्डियल आईल चौराह	112
9	भैरु चौक	जवाहर नगर	20
10	राममन्दिर पार्लर	राम मन्दिर जवाहर चौराह	5
11	हिमांशु	पी.एण्ड.टी.कालोनी	49
12	कमलेश किराना	जेवियल	1
13	महेश जोशी	वरदान नगर	29
14	अलकापुरी डिपो	अलकापुरी	105
15	नारायण राठौर	इन्ड्रलोक नगर	8
16	श्री नाथ किराना	अलकापुरी	20
17	अलकापुरी पार्लर	अलकापुरी पार्लर	173
18	भवानी सिंह	नया गाँव	29
19	सुभाष माली	राजीव नगर	69
20	बंजली	बंजली रोड.	31
21	जोशी	गंगा सागर	12
22	सुरेन्द्र चौधरी	इन्डिरा नगर	27
23	कल्पना डेयरी	गाँधी नगर	5
24	राधा कृष्ण मन्दिर	गाँधी नगर	48
25	प्रकाश	जे.वी.एल. रोड	39
26	गौरव किराना	नसरे कालोनी	18
27	मीराकुटी पार्लर	पी.एण्ड.टी.कालोनी	9
28	मीरा कुटी डिपो	पी.एण्ड.टी.कालोनी	20
29	रवि किराना	पी.एण्ड.टी. कालोनी	3
30	त्रिमूर्ति नगर	त्रिमूर्ति नगर	5
31	विजय चौहान	लक्ष्मणपुरा	118
32	मुन्ना किराना	पीण्डटी	20
33	कार्मस कॉलेज पार्लर	बिरियाखेडी रोड.	10
34	डेयरी कालोनी	सागोद रोड.	2
35	अमृत गार्डन	त्रिमूर्ति नगर	75
36	देव श्री गार्डन	सागोद रोड	100
37	कैशलेस पार्लर	देवश्री गार्डन	20
38	ओम किराना	टाटानगर	12
39	रेत्ने हास्पीटल	रेलवे कालोनी	25
40	बन्जली	बंजली	30
41	मेडिकल कालेज	बंजली	15
	औसतन दुग्ध विक्रय		1536

नोट :- प्रतिभूति राशि 1536×45×5 345600

नोट:- दूध का औसतन विक्रय मूल्य रुपये 45.00 प्रतिलीटर

प्रभारी (विपणन)
रतलाम

सहा.माहप्रबंधक (विपणन)

महाप्रबंधक (विपणन)

दुग्ध संघ के अध्यक्ष/संचालक/कर्मचारी से कोई संबंध नहीं होने का
शपथ पत्र का प्रारूप
(रु. 100 के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पर)

नाम	—
पिता	—
आयु	—
निवासी	—

उज्जैन दुग्ध संघ द्वारा उज्जैन शहर में दुग्ध पदार्थ वितरक की नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये है। मेरे द्वारा मार्ग क्रमांक के लिए आवेदन प्रस्तुत किया गया है। तत्संबंध में मैं शपथ पूर्वक सत्य कथन करता/करती हूँ कि मैं उज्जैन दुग्ध संघ के माननीय अध्यक्ष महोदय, किसी भी संचालक महोदय, दुग्ध संघ के किसी भी अधिकारी अथवा कर्मचारी से मेरी कोई रिश्तेदारी या पारिवारिक संबंध नहीं है।

इति दिनांक उज्जैन हस्ताक्षर शपथग्राहिता

सत्यापन

मैं शपथग्रहिता शपथ पूर्वक सत्य कथन करता हूँ कि उपरोक्त शपथ पत्र की पद संख्या 01 में वर्णित संपूर्ण कथन मेरे निजी ज्ञान के अधार पर सत्य एवं सही है। इससे कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

इति दिनांक उज्जैन हस्ताक्षर शपथग्राहिता

नवीन वाहन उपलब्ध करने संबंधी शपथ पत्र का प्रारूप।

(रु. 100 के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पर)

नाम	—
पिता	—
आयु	—
निवासी	—

1— मैं शपथग्रहिता शपथ पूर्वक सत्य कथन करता हूँ कि मेरे द्वारा उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, उज्जैन द्वारा उज्जैन शहर में दुग्ध पदार्थ वितरक कार्य हेतु (मार्ग क्रमांक) आवेदन किया गया है, यदि उक्त आवेदन स्वीकृत होता है तो मैं आवेदन पत्र में उल्लेखित शर्तों के अनुसार नवीन इंसुलेटेड वाहन सूचना प्राप्ति के एक माह के अन्दर लगाने हेतु वचनबद्ध हूँ अन्यथा मेरा ओवदन अस्वीकार किये जाने पर मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।

इति दिनांक उज्जैन

हस्ताक्षर शपथग्राहिता

सत्यापन

मैं शपथग्रहिता शपथ पूर्वक सत्य कथन करता हुँ कि उपरोक्त शपथ पत्र की पद संख्या 01 में वर्णित संपूर्ण कथन मेरे निजी ज्ञान के अधार पर सत्य एवं सही है। इससे कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

इति दिनांक उज्जैन

हस्ताक्षर शपथग्राहिता

.....

एमपीसीडीएफ या अन्य दुग्ध संघों से टर्मिनेट नहीं होने संबंधी

शपथ पत्र का प्रारूप।

(रु. 100 के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पर)

नाम	—
पिता	—
आयु	—
निवासी	—

1— मैं शपथग्रहिता शपथ पूर्वक सत्य कथन करता हूँ कि मेरे द्वारा उज्जैन दुग्ध संघ द्वारा उज्जैन शहर में दुग्ध पदार्थ वितरक की नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये हैं। मेरे द्वारा मार्ग क्रमांक के लिए आवेदन प्रस्तुत किया गया है। तत्संबंध में मैं शपथ पूर्वक सत्य कथन करता / करती हूँ कि मैं एमपीसीडीएफ भोपाल अथवा सम्बद्ध किसी भी दुग्ध संघ द्वारा आवेदक को किसी भी प्रकार की अनियमितता के कारण टर्मिनेट अथवा ब्लॉक लिस्ट नहीं किया गया हो।

इति दिनांक उज्जैन

हस्ताक्षर शपथग्राहिता

सत्यापन

मैं शपथग्रहिता शपथ पूर्वक सत्य कथन करता हूँ कि उपरोक्त शपथ पत्र की पद संख्या 01 में वर्णित संपूर्ण कथन मेरे निजी ज्ञान के अधार पर सत्य एवं सही है। इससे कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

इति दिनांक उज्जैन

हस्ताक्षर शपथग्राहिता

इति दिनांक उज्जैन

हस्ताक्षर शपथग्राहिता